न रोजगार पर बात, न सेहत की चिंता! आ गया है फिर से जनता के साथ दगाबाजी का नया पत्र

मदन कोथुनियां

जब बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो रहा था तब वित्तमंत्री व वरिष्ठ वकील अरुण जेटली ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र टुकड़े-टुकड़े गैंग ने तैयार नहीं किया है बल्कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है! बीजेपी के घोषणा पत्र का संक्षिप्त में हम भी विश्लेषण कर लेते हैं कि व्यापक विचार-विमर्श कितना हुआ है व किन मुद्दों पर फोकस किया गया है! सत्ताधारी पार्टी के लिए बेहतर तो यह रहता कि अपने पांच साल का हिसाब जनता के सामने रखती व अगले पांच साल के लिए उनकी कार्ययोजना क्या है इसको बताती। मगर बीजेपी ने ऐसा न करके खुद को विपक्ष के बराबर ही खड़ा कर दिया।

1.रोजगार

पिछले पांच सालों में नए रोजगार सृजन के अभाव में बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी है और बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े 22 बड़े सेक्टरों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद देंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए नई स्कीम लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ लोगों को कर्ज देंगे। 20 हजार करोड़ के सीड स्टार्टअप फंड के जरिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे।

बीजेपी ने 2014 के घोषणापत्र में हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था मगर पूरे पांच साल में 1लाख 35हजार रोजगार दिए और नोटबंदी व जीएसटी से 97 लाख लोग बेरोजगार हो गए! आज के घोषणापत्र में रोजगार देने का कोई ठोस रोडमैप सामने रखने के बजाय सिर्फ कर्ज देने, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर जिम्मेदारी से व अकाउंटेबिलिटी से बचने का गोलमोल वादा किया गया है।

2.स्वास्थ्य

बीजेपी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले पांच सालों में किये कार्यों का कोई लेखा-जोखा जनता के सामने पेश नहीं किया है। आज

जारी घोषणापत्र में बीजेपी ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत 1.50 लाख स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र खोले जाएंगे! देशभर में 75 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे! प्रशिक्षित डॉक्टरों और जनसंख्या का अनुपात 1:1400 करने का प्रयास किया जाएगा!

इस घोषणा को समझने के लिए मैं आपको हकीकत से रूबरू करवाना चाहता हूँ। अभी देश मे लगभग 11लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर है। 11हजार लोगों पर एक डॉक्टर और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों का अनुपात देखें तो दिल्ली में 5300 पर एक डॉक्टर और बिहार में 28000लोगों पर एक डॉक्टर! नियमों के हिसाब से 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए और देश मे 11 गुना डॉक्टरों की कमी है। देश के मेडिकल कॉलेज हर साल 68 हजार डॉक्टर तैयार करते हैं जो जनसंख्या व मरीजों की बृद्धि के अनुपात में पिछड़ता जा रहा है।

बीजेपी ने स्वास्थ्य पर कितना बजट खर्च किया जाएगा उस पर कोई स्पष्ट बात नहीं की है। 75 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे मतलब ज्यादा से ज्यादा 7500 डॉक्टर तैयार किये जा सकते हैं। न गैप पाटा जा सकता है और न 1:1400का अनुपात हासिल किया जा सकता है।पिछले पांच साल में जीडीपी के अनुपात में हेल्थ बजट बढ़ने के बजाय घटा है!

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतिम समय में जारी की गई जिसके आंकड़े सामने रखना मुमकिन नहीं है। बीजेपी ने आंकड़े देने के बजाय सिर्फ आगे की नामुमकिन मंजिल पर तीर साधने की कोशिश की है जबकि जनता के 5 बुनियादी मुद्दों में सबसे बढ़ा मुद्दा यही है क्योंकि चिकित्सा की लाचारी हर साल गरीबी से निकलने वाले 14 करोड़ लोगों में से लगभग 13 करोड़ लोगों को वापस गरीबी के दुष्चक्र में धकेल देती है।

3.महिला

वैसे तो आजादी के 72साल बाद हमारे लिए यह मुद्दा ही नहीं होना चाहिए मगर लाचारी, बेशर्मिन्दगी की नौका के नाविक देश के हुक्मरान बन जायें तो जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता है मगर बीजेपी के घोषणापत्र में सरकारी क्षेत्र में महिलाकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी!

संविधान में प्रावधान करके महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा हो तो जरूर सोचा जाना चाहिए!

तीन तलाक़ को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने वाली सरकार को जरूर बताना चाहिए था कि पांच साल पूर्ण बहुमत की सरकार में 33 प्रतिशत आरक्षण कहां जाकर अटका था? वादा किया है तो इन पर विश्वास किया जाना चाहिए क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प भी तो नहीं है!

तीन तलाक का बिल अटक गया और दोबारा घोषणापत्र में आया है तो एक कमी मुझे व्यक्तिगत रूप से जरूर खली की देश, स्वदेशी, संस्कृति, धर्म का झंडा उठाकर चलने वाली बीजेपी के घोषणापत्र में हिन्दू मैरिज एक्ट जरूर होना चाहिए था मगर राजनैतिक पार्टी का घोषणा पत्र है इसलिए ये सवाल जनता पर छोड़ देने चाहिए!

3.किसान

2014 के वादों में फूलकर जो किसान हवा में मोदी जी के साथ उड़ने लगे थे उनके लिए जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसको ढंग से पढ़ा जाना चाहिए! देश के सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की जाएगी! 2000 अंतिम चुनावी रणनीति के तहत जो चंद किसानों के खाते में भेजे गए उनके बाकी 4000 लेने हैं तो फिर मोदी सरकार चुनना है! छोटे और खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी मगर कितनी दी जाएगी उसका कोई उल्लेख नहीं है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जायेगा मगर खाद-बीज व कृषि मशीनरी निर्माता कंपनियों को देंगे या किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने, 24 घंटे बिजली देने, डेढ़ गुणा फसलों की कीमत देने में किया जाएगा इसका कोई उल्लेख नहीं है।

मछुआरों के लिए जल संसाधन मंत्रालय खोला जाएगा मगर किसान मंत्रालय के लिए कितना बजट देंगे उसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है! किसानों की आय दुगुनी करने की लास्ट डेट 2022 तक स्थगित कर दी गई है और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कूड़ेदान में फेंक दी गई है।

4.राष्ट्रीय सुरक्षा

बीजेपी ने सदा उधारी खाते के अनुरूप फिर से वादा किया है कि कश्मीर से धारा 370 व संविधान के अनुच्छेद 35 पर हमारा रुख पहले की तरह स्पष्ट है। चाहे 5साल बहुमत की सरकार चला लें मगर हमारा रुख कार्य करने के बजाय घोषणापत्र में सदा यही रहेगा।

बीजेपी सत्ता में आने पर राममंदिर निर्माण का रास्ता तलाशने की कोशिश करने की दुहाई दे रही थी वो पूर्ण बहुमत की सरकार पूरे पांच साल सत्ता में रहकर अगले चुनाव में उतरने से पहले कह रही है कि संवैधानिक दायरे में राममंदिर निर्माण का रास्ता तलाशा जाएगा।

धार्मिक प्रताड़ित पड़ोसी देशों के हिन्दू, जैन, सिख, बौद्धों को इस देश की नागरिकता देने का वादा किया है मगर मुस्लिम के लिए ट्रम्प का नारा ही अंतिम पैगाम है!

AFSFA पर कोई रुख नहीं, आतंकवाद के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति जैसी पिछले पांच साल में रही है! नक्सलवाद पर दो लाइन नहीं! अलगाववाद पर कोई रुख नहीं।

2 साल से जेल में बंद 90 फीसदी विकलांग साईबाबा ने कहा 'मैं आधा मर चुका हूं'

लोकतंत्र की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि साईबाबा जैसों को उनके खराब स्वास्थ्य के बावजूद किसी भी तरह से जमानत देने से इनकार कर दिया जाता है, जबकि गुजरात के नरोदा पाटिया में 2002 में हुए जघन्य हत्याकांड के लिए दोषी बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को बिमारी के बहाने जमानत दे दी जाती है।

जनज्वार, दिल्ली। माओवादी समर्थक होने के जुर्म में पिछले दो सालों यानी मार्च 2017 से उम्रकैद की सजा काट रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता जीएन साईबाबा को जमानत दिए जाने के समर्थन में 10 अप्रैल को प्रेस क्लब आफ इंडिया में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कमिटी फॉर द डिफेंस एंड रिलीज आफ डॉ. जीएन साईबाबा के तत्वावधान में किया गया। बतौर वक्ता इसमें जी हरगोपाल, मनोरंजन मोहंती, नंदिता नारायण, प्रशांत भूषण, संजय काक और विकास गुप्ता ने अपनी बात रखी।

गौरतलब है कि माओवादियों से संबंध होने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस ने मई 2014 में जीएन साईबाबा को गिरफ़्तार किया था। मार्च 2017 में उन्हें उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई और इसके बाद से वे नागपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं।

कमिटी फॉर द डिफेंस एंड रिलीज आफ डॉ. जीएन साईबाबा द्वारा जारी रिलीज के मुताबिक, जीएन साईबाबा ने राज्य समर्थित कॉरपोरेटस द्वारा संसाधनों की हिंसक और सतत लूट को समझा और विकास के नाम पर आदिवासियों के विस्थापन और निर्वासन के खिलाफ़ एक मजबूत आवाज़ बनकर उभरे। मगर शरीर से विकलांग साईबाबा से इसकी कीमत सालों से बीमार होने के बावजूद कैदी बनाकर वसूली जा रही है। शासन—प्रशासन के इशारे पर बार-बार उन्हें जमानत देने से इनकार करना, जानलेवा कष्ट व्यापक स्तर

जेल से अपनी पत्नी वसंता कुमारी के नाम लिखे साईबाबा के पत्रों में उन्होंने लिखा है 'मैं अब तक आधा मर चुका हूं' शारीरिक रूप से विकलांग साईबाबा माओवादी समर्थक होने के 'अपराध' के लिए मार्च 2017 से नागपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर जीएन साईबाबा ने देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए हमेशा से आवाज उठाई, जिसकी कीमत बतौर आजीवन कारावास चुका रहे हैं। उनके उत्पीड़न की हाईट ये रही कि 90 फीसदी विकलांग होने और लगभग 15 बीमारियों से जूझ रहे जीएन साईबाबा को अंडा सेल तक में तक रखा गया।

पर लोकतंत्र के खत्म होते जाने की तरफ इशारा करता है।

गौरतलब है कि जीएन साईबाबा एक ऐसे कैदी हैं, जो पोलियो के बाद पक्षाघात के कारण व्हीलचेयर पर हैं और 90 प्रतिशत विकलांग हैं। पिछले 2 सालों के पुलिसिया उत्पीड़न, दमनकारी जेल की दिनचर्या और शासन के इशारे पर उन्हें चिकित्सकीय देखभाल न मिलने से उनका शरीर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बावजूद इसके उन्होंने अपनी उत्साह को मरने नहीं दिया है।

गौरतलब है कि ट्रायल से पहले भी जीएन साईबाबा के अग्नाशय और पित्ताशय की थैली में मौजूद गड़बड़ियों का पता चल चुका था, जिसमें कि तत्काल सर्जरी की आवश्यकता होती थी। मगर कन्विक्शन के चलते इन दोनों सर्जरियों को, जो कि बहुत जरूरी थीं उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, टाल दिया गया। उनकी स्थिति अब बेहद खराब हो चुकी है। उन्हें रीढ़ की समस्याएं और गुर्दे की बीमारियों ने भी जकड़ लिया है।

साईबाबा ने जेल से एक महीने पहले अपनी पत्नी वसंता के नाम लिखे खत में लिखा, 'मेरे बाएं हाथ की क्षतिग्रस्त मांसपेशियों में असहनीय दर्द का अनुभव हो रहा है, मेरे दिमाग में हर समय चक्कर आने और भारी दबाव के कारण बार-बार और पूरी तरह से अँधेरा छा जा रहा है, और तेज सिर दर्द के कारण नींद नहीं आती है। दवाएं अब निष्प्रभावी हो गई हैं। यहां तक कि पेनरिलीफ दवाओं ने अब मुझ पर काम करना बंद कर दिया है। इन तथ्यों का हवाला देते हुए उनकी पत्नी वसंता ने एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि जेल प्रशासन उन्हें जीवन रक्षक दवाओं की निर्धारित खुराक नहीं दे रहा है और नागपुर में किसी भी उपचार के लिए ज़रूरी आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह से अपर्याप्त हैं।

जीएन साईबाबा के वकील मिहिर देसाई कहत हैं, जेल प्रशासन उन्हें आवश्यक उपचार नहीं दे रहा है। मगर न्यायाधीश अभी भी जेल अधिकारियों द्वारा दायर जवाब पर भरोसा करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साईबाबा को पर्याप्त और जरूरी उपचार मिल रहा है।

25 मार्च को अदालत ने साईबाबा की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें वापस जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। जीएन साईबाबा के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव तब किया जा रहा है, जबकि उनकी रिहाई के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों कैटालिना देवनदास, मिशेल फॉस्ट, डेनियस पुरस और नील्स मेलज़र ने भारत सरकार से अपील करते हुए कहा था 'हम लोग साईबाबा के 15 से ज्यादा शारीरिक समस्याओं से जूझने की रिपोर्ट से चिंतित हैं, इनमें से कुछ गंभीर बीमारियां हैं। उन्हें तत्काल अच्छे चिकित्सा उपचार की जरूरत है।

इन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने अपील में कहा था, हम भारत को याद दिलाना चाहेंगे कि कारावास में विकलांगों के साथ उचित आवास, चिकित्सा की व्यवस्था से किसी भी तरह का इनकार न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि ये दुर्व्यवहार और यातना की श्रेणी में आता है। शारीरिक अक्षमताओं से जूझ रहे कैदी की स्थिति अगर बहुत ज्यादा ख़राब है तो उसके कारावास की सज़ा पर रोक लगा देना चाहिए। विकलांग कैदियों की इस तरह की स्थिति यातना की हाईट है।

साईबाबा को भारत में लंबे समय में विभिन्न अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला कहते हुए रिलीज में कहा गया है कि ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया है जिससे यह पता चले कि जीएन साईबाबा हिंसा भड़काने वाले षड्यंत्रकर्ता हैं या उन्होंने हिंसा भड़काने वालों की सहायता की हो।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों को बर्बर यूएपीए एक्ट के तहत घेरा गया है, यहां तक कि कइयों की हत्या तक कर दी गई है। पिछले कुछ सालों में कुछ लोगों को चिन्हित कर, आतंकित कर, डरा-धमकाकर लोकतांत्रिक असहमतियों को विचलित या खामोश कर दिया जाता है।

आज लोकतंत्र की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि साईबाबा जैसों को उनके खराब स्वास्थ्य के बावजूद किसी भी तरह से जमानत देने से इनकार कर दिया जाता है, जबकि गुजरात के नरोदा पाटिया में 2002 में हुए जघन्य हत्याकांड के लिए दोषी बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को स्वास्थ्य का हवाला देते जमानत दे दी जाती है।

गौरतलब है कि साईबाबा को पहली बार मई 2014 में गढ़चिरौली पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) का सदस्य होने तथा उन्हें सुविधायें मुहैया कराने और समूह के लिए भर्ती में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जून 2015 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल आधारों पर उन्हें ज़मानत दे दी, जिसके बाद जुलाई 2015 में उन्हें रिहा कर दिया गया।

इसके बाद उसी साल दिसंबर में उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। फिर अप्रैल 2016 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई। मार्च 2017 में माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में उन्हें उम्रक़ैद की सज़ा मिली, जिसके बाद से वह नागपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं।